



राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) समारोह का आयोजन कल

Posted On: 16 AUG 2017 1:56PM by PIB Delhi

पूर्ववलोकन

देशभर में सभी प्रकार की खानों कोयला, धातु और तेल में कार्यरत सभी व्यक्तियों के व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। खानों में कार्यरत व्यक्तियों के व्यावसायिक संचालन सुरक्षा से संबंधित प्रावधान खनन अधिनियम 1952 में सम्मिलित हैं और इसके आधार पर नियम निर्धारित किए गए हैं। खान अधिनियमों के प्रावधानों और इसके अंतर्गत विधायी ढांचे के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी खान प्रबंधन की होती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा के महानिदेशक समय-समय पर निगरानी और जांच द्वारा इसके अनुपालन का निरीक्षण करते हैं। खान में कार्यरत कर्मियों के बीच सुरक्षा और स्वास्थ्य विषयों में भागीदारी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए दुर्घटना की रोकथाम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतः नियमन और भागीदारी प्रबंधन के विचार को केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है। सुरक्षा के क्षेत्र में समय-समय पर शैक्षणिक और प्रोत्साहन प्रयासों को प्रतिपादित और प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) इन प्रयासों में से एक है।

खानों में दुर्घटनाओं की रोकथाम में उल्लेखनीय कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार की शुरुआत की गई। वर्ष 1982 और 1983 के लिए 1984 में प्रथम बार पुरस्कार प्रदान किए गए और इसके बाद से नियमित रूप से हर वर्ष पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

राष्ट्रीय खान पुरस्कार के लिए धातु के प्रकार और कार्य की प्रकृति के आधार पर 7 विभिन्न समूहों में बांटा गया है। इस पुरस्कारों के लिए योग्यता निर्धारित करने हुए सुरक्षा क्षमता के सूचकांक निम्नलिखित हैं-

- प्रतियोगी वर्ष के साथ समाप्त होने वाले लगातार तीन वर्षों तक सबसे लंबी दुर्घटना रहित अवधि।
- प्रतियोगी वर्ष के साथ समाप्त होने वाले लगातार तीन वर्षों तक सबसे दीर्घ अवधि तक सबसे कम चोट लगने के संबंध में

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पुरस्कार हेतु आवेदन की जांच करने हुए त्रिपक्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार समिति का गठन किया जाता है। समिति में खान प्रबंधन के आठ प्रतिनिधि, श्रम संगठनों के आठ प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में महानिदेशक अध्यक्ष और डीजीएम के एक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में सम्मिलित होते हैं।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में 37 विजेता और 34 उप विजेता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक खान के लिए पुरस्कार संयुक्त रूप से खान प्रबंधन और कार्मिक प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किया जाता है।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 17 अगस्त, 2017 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2013 और 2014 के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगे।

वीके/एजे/एसके- 3409

(Release ID: 1499780) Visitor Counter : 7

